न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अलवर

पीठासीन अधिकारी – श्री प्यारे लाल सोठवाल (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	तारीख दायर	तारीख निर्णय
5/2/2022	07.03.2022	09.03.2022

बउनवान

...नेश कुमार मंगला पुत्र श्री गोपालदास मंगला जाति महाजन उम्र करीब 57 साल निवासी ...18 बूडा मार्केट सेक्टर–28 फरीदाबाद –हरियाणा जरिये मुआम श्री दुर्वेश सैनी पुत्र श्री दुर्गा ...साद सैनी जाति माली उम्र करीब 40 साल निवासी हीराबास काली मोरी, अलवर तहसील व ...जला अलवर राज0

––– अपीलाण्ट

बनाम

1–सरपंच, ग्राम पंचायत सिरमौली पंचायत समिति किशनगढ बास जिला अलवर राज0

––– रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध इन्तकाल संख्या 228 दिनांक
20.11.2006 वाके ग्राम नंगला समावदी

: निर्णय :

अपीलान्ट ने अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट द्वारा खातेदार श्यामलाल पुत्र मिरचूराम माली की खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 410 रकबा 0.29 है0 वाके ग्राम नंगला समावदी तहसील अलवर को जरिये रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 16.09.2006 को प्रतिफल राशि अदा कर खरीद किया तथा बयनामा के आधार पर इन्तकाल दर्ज करवाने हेतु रेस्पारेन्ट संख्या 01 के द्वारा इन्तकाल संख्या 228 दर्ज करते हुए ग्राम पंचायत सिरमोली के समक्ष दिनांक 02.10.2006 को पेश किया। जिसे दिनांक 02.11.2006 को इस आधार पर खारिज कर दिया कि क्रेता–विक्रेता उपस्थित नही हुए। मौके पर क्रेता का कब्जा नही है। कब्जे का लेकर विवाद है। जबकि ग्राम पंचायत द्वारा क्रेता व विक्रेता को उपस्थित होने की कोई सूचना नही दी गई। अपीलाधीन आराजी पर वक्त खरीद से अपीलान्ट का कब्जा व काश्त है। आज भी मौके पर कब्जा है। वर्तमान में विवादित आराजी पर कोई विवाद नही है। इन्तकाल निरस्त किये जाने से अपीलान्ट के हक व हकूक जायल होते है। इसलिए तहत अदालत का आदेश अपास्त किये जाने योग्य है। ग्राम पंचायत द्वारा इन्तकाल संख्या 228 के निरस्त होने की जानकारी दिनांक 01.03.2022 को हुई। नकल आदि लेने व मुकदमा पेश करने की अवधि को कन्डोन किया जा कर दिनांक 20.11.2006 से अपील पेश करने तक के समय को कन्डोन फरमाया जाकर अपील स्वीकार फरमाते हुए ग्राम पंचायत सिरमोली के आदेश दिनांक 20.11.2006 को निरस्त किये जाकर अपीलान्ट के हक में इन्तकाल मंजूर करने का निवेदन किया।

...पखण्ड अधिकारी
...(राज0)

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट जरिये नोटिस तलब किये गये। रेस्पोडेन्ट हाजिर अदालत आये किन्तु कोई जवाब आदि पेश नही किया। वकील अपीलान्ट की बहस सुनी।

सर्वप्रथम प्रा.पत्र दफा–5 पर नरम रूख अपनाते हुऐ प्रा.पत्र स्वीकार किया जाता है।

हमने वकील अपीलान्ट की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया।

अपीलान्ट ने प्रश्नगत आराजी पूर्व खातेदार से जरिये रजिस्टर्ड बयनामा क्रय की। मुताबिक बयनामा विक्रेता नें प्रश्नगत आराजी बावत् समस्त अधिकार क्रेता को देने एवं कब्जा सम्भलवाने का अंकन किया हुआ है। तहत अदालत को अपने आलौच्य आदेश पारित करने से पूर्व विधिक तथ्यों को गौण करते हुऐं आलौच्य आदेश पारित किया है। जो प्रथम द्रष्टया अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। तहत पारित आलौच्य आदेश दिनांक 22. 11.2006 इन्तकाल संख्या 228 वाके ग्राम नंगला समावदी निरस्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार अलवर को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि मुताबिक बयनामा अपीलान्ट के हक मे पुनः नामान्तरकरण दर्ज करने की कार्यवाही करे।

(प्यारे लाल सोठवाल)
उपखण्ड अधिकारी
अलवर

उपखण्ड अधिकारी
अलवर (राज०)

निर्णय आज दिनांक 09.03.2022को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(प्यारे लाल सोठवाल)

उपखण्ड अधिकारी
अलवर (राज०)